

"सार्वजनिक अधिसूचना"

रेलवे लाइनों और परिसर के सभी उपयोगकर्ताओं को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रेलवे के निम्नलिखित खंड पर 25 के.वी., 50 हर्ट्ज ए.सी. शिरोपरी कर्षण तारों को खंड के सामने निर्दिष्ट तिथि पर या उसके बाद विद्युतीकृत किया जाएगा। उस तारीख और उसी तारीख से शिरोपरी कर्षण तारों को हर समय विद्युतीकृत माना जाएगा और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरी कर्षण तारों के पास न तो पहुंचेगा और न ही काम करेगा।

खंड	RKM (दिनांक)
उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के पथरी स्टेशन की बलास्ट साइडिंग लाइन KM 12 (Ch: 12/80.00) से स्थान KM 14 (Ch: 14/160.00) तक संबंधित टर्न आउट और X-ओवर सहित मौजूदा लाइनों में संशोधन	2.08 (28.06.2023)

भारतीय रेल

25 के.वी. ए.सी. कर्षण की स्थापना "सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी"

जनता की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि 25 kV AC इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन शिरोपरी शुरू करने के संबंध में "उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के पथरी स्टेशन की बलास्ट साइडिंग लाइन KM 12 (Ch: 12/80.00) से स्थान KM 14 (Ch: 14/160.00) तक संबंधित टर्न आउट और X-ओवर सहित मौजूदा लाइनों में संशोधन" हाइट गेज सभी लेवल क्रॉसिंग पर लगाये है, जो सड़क की ऊंचाई से 4.78 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर स्पष्ट ऊंचाई के साथ है, अत्यधिक ऊंचाई के भार को संपर्क में आने या लाइव ट्रैक्शन वायर से खतरनाक निकटता को रोकने के उद्देश्य से।

सार्वजनिक रूप से वाहनों को लोड करने के उद्देश्य के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊंचाई का निरीक्षण करने के लिए सूचित किया गया है और यह देखने के लिए कि सड़क वाहनों में किए गए भार किसी भी परिस्थिति में ऊंचाई गेज का उल्लंघन नहीं करते हैं।

अत्यधिक ऊंचाई के भार के खतरे इस प्रकार हैं:-

- ऊंचाई गेज के लिए खतरा और परिणामस्वरूप सड़क के साथ-साथ रेलवे लाइन में बाधा।
- सामग्री या उपकरण या वाहन के लिए खतरा।
- सुचालक के साथ संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग का खतरा और जीवन का जोखिम।

सं.: 17-Elect/C/TRD/MB/130-R

दिनांक: 15.06.2023

1837/2023

उप मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण,

उ.रे., मुरादाबाद